

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 7 (1) राज/2/2018

जयपुर, दिनांक : 20/3/18

—: संशोधित आज्ञा :—

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.03.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला कार्यालय हेतु भू-मापक के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर 70 सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति के स्थान पर भू-मापक के 250 रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164 A एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ. 12(6)एफ.डी. (रूल्स)/2009 दिनांक 01.12.2015 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.03.2018 से दिनांक 28.02.2019 तक अथवा नियमित कार्मिक की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक रखने की एतद्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। इन पर होने वाला व्यय बजट मद 2029 भू-राजस्व, 102-सर्वेक्षण बन्दोबस्त कार्य 02-जिला कार्यालय के सम्बन्धित उपमद से प्रभार्य होगा। पूर्व में दिनांक 14.03.2018 को जारी आज्ञा भू-मापक के रिक्त पदों (जिला कार्यालय) के अतिरिक्त शेष रिक्त पदों की स्वीकृति यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, सी.ले.प. (आई.सी.-3) राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

20/3/18

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.7(29)राज/2/2014पार्ट

जयपुर , दिनांक : 18/3/18

✓ समस्त जिला कलक्टरस
राजस्थान ।

विषय: रिक्त पटवारियों के पदों के विरुद्ध संविदा सेवा से कार्य कराने
बाबत ।


प्रसंग: इस विभाग के पत्रांक: निजी/अमुस/राज./2018/29 दिनांक
15.3.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा राजस्व मण्डल को जिलों में रिक्त पटवार मण्डलों की सूचना अविलम्ब इकजाई कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उपरोक्त सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तथा सरकार द्वारा कृषि फसलों की खरीद एवं अन्य राज्य कार्य को देखते हुए रिक्त पटवारियों के पदों पर सेवानिवृत्त पटवारियों को लगायें जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

राजस्व मण्डल के माध्यम से निर्देशों के क्रम में सूचना एकत्रित होने में समय लग रहा है। अतः आपके जिले में पटवारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा निवृत्त पटवारियों को रखें जाने की, उक्त पदों के नियमित भरे जाने अथवा दिनांक 30.6.2018 तक जो भी पहले हो की सहमति दी जाती है।

नियुक्ति कर ~~बाद~~ ~~बाद~~ में रिक्त पदों की सूचनाओं के साथ कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 8.2.2018 के आधार पर पटवारियों के रिक्त पदों की आवश्यकतानुसार संविदा सेवा के प्रस्ताव मय बजट राशि के राजस्व मण्डल, अजमेर के माध्यम से राजस्व विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करावें।


18/3/18
(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि- निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार पालना कराते हुए जिलों की इकजाई सूचना लेकर प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजटीय प्रावधान/उपलब्धता हेतु अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करावें ।

//
अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग


क्रमांक : निजी / अमुस / राज. / 2018 / 29

जयपुर, दिनांक 15.03.2018

समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान सरकार

वर्तमान में पटवारियों के जिलों में कुछ पद रिक्त चल रहे हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए परिपत्र क्रमांक एफ. 17(10)डीओपी/ए-11/94 दिनांक 8.2.2018 को जारी किया गया है।

अतः आपके जिले में इस परिपत्र के आधार पर पटवारियों के रिक्त पदों की आवश्यकतानुसार पदों की व्यवस्था उनकी नियमित भर्ती होने तक जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पुनः नियुक्ति के माध्यम से सेवाएँ लिए जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के माध्यम से राजस्व विभाग को भिजवाये जाने की व्यवस्था करावें।


(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

SANR
DLR
RKAR